संख्या–जी0आई0– 2555 / 7–1–2014–500(4219) / 2013,

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून:दिनांक 26 मार्च, 2014.

विषयः– **जनपद–हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत 400 के0वी0 काशीपुर–रूड़की विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 3.116 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2285 / 1जी–3830 (हरि0) दिनांक 03–03–2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय **जनपद–हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत 400 के0वी0 काशीपुर–रूड़की विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 3.116 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 को 30 वर्षों की लीज पर** दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 04 / 111 / 2013 / एफ0सी0 / 61 दिनांक 31–01–2014 एवं पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 04 / 111 / 2013 / एफ0सी0 / 102 दिनांक 20–02–2014 में दी गयी स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. **वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगने अवनत वन भूमि पर अर्थात 6.232 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।**

3. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी / कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।

5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उक्त वन भूमि का ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।

6. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

7. निर्माण कार्य से पूर्व राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकृत अधिकारी/विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर बौने पौधों (विशेषकर औषधीय पौधे) यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।

9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

14. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा।

15. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुच्छेद–5 में पारेषण लाईन के बिछाने से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. प्रयोक्ता एजेन्सी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

18. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एवं पारेषण लाईन के नीचे रिक्त स्थानों पर बौने वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

19. प्रश्नगत वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर पर मूल्य (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेन्ट शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500(826)/2002 दिनांक 09–09–2005 के प्रस्तर 3.2.5 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आंकलित किया जायेगा तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि का मूल्य व लीज रेन्ट का भुगतान किये जाने के उपरान्त ही परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का कब्जा दिया जायेगा।

20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग से विधीक्षित करवाया जायेगा व उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य निष्पादित किया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः–198/7–जी0–सी0–89–3–98, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक "0070"–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01 –की सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

2– उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500(826)/2002 दिनांक 9–9–2005 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः जी0आई0: 2855/7–1–2014–500(4219)/2013 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–हरिद्वार।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चमी वन प्रभाग, रामनगर।
8. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, मानपुर रोड, काशीपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।